

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2018-19

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप-10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढाँचा एवं पदीय स्थिति	2-3
3.	अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढाँचा	4
4.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 4 वर्ष से तुलना	5-7
5.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ	8-9

1 भूमिका :- आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है। द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एक अप्रैल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को कमोन्नत कर विशिष्ट शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ट शासन सचिव गृह पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप-10) विभाग में विशिष्ट शासन सचिव, गृह विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

प्रशासनिक ढांचा मजबूत किये जाने हेतु अभियोजन निदेशालय में दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के सृजित किये गये हैं, जिसमे से एक पद न्यायिक सेवा का एवं एक पद राजस्थान अभियोजन सेवा से भरे जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

2. अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढाँचा एवं पदीय स्थिति :-

क. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण अन्य विभागों में सृजित / प्रतिनियुक्ति के पद
1.	निदेशक अभियोजन	1	0	1	वि.शा.स.गृह के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	1	1	0	-
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	1	0	1	उप निदेशक पद विरुद्ध पदस्थापित
4.	उप निदेशक अभियोजन / लोक अभियोजक	14	13	1	3(2एसीबी +1लोक अभियोजक श्रीगंगानगर)अभियोजन पैरवी हेतु
5.	सहायक निदेशक अभियोजन / विशिष्ट लोक / अपर लोक अभियोजक	85	81	4	30(16 अपर लोक अभियोजक +11विशिष्ट लोक अभियोजक +1सी आईडी +1आर पी ए+1पीसी पीएनडीटी) विभिन्न न्यायालयों में पैरवी हेतु कार्यरत
6.	अभियोजन अधिकारी	269	230	39	07 (2जेडीए+1पीएच क्यू+1आरपीए +2पीटीएस + 1 ए.टी.एस
7.	सहायक अभियोजन अधिकारी	427	364	63	01 सी.आई.डी.(सी.बी.)
8.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	2	2	0	-
9.	निजी सचिव	1	0	1	
10.	अतिरिक्त निजी सचिव	3	3	0	-
11.	संस्थापन अधिकारी	2	0	2	-
12.	प्रशासनिक अधिकारी	5	0	5	
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	46	36	10	-
14.	निजी सहायक	5	4	1	-
15.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	1	1	0	-

16.	कनिष्ठ लेखाकार	24	17	7	—
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1	—
18.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0	—
19.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	0	—
20.	शीघ्र लिपिक	9	0	9	—
21.	सूचना सहायक	39	21	18	
22.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	125	95	30	—
23.	वरिष्ठ सहायक	286	141	145	
24.	कनिष्ठ सहायक	542	126	416	
25.	ड्राईवर	1	1	0	—
26.	जमादार	31	8	23	—
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	698	211	487	—
	योग	2621	1358	1263	41

3 अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा
(अभियोजन विभाग)



1	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2	दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (मुख्यालय स्तर पर)
3	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5	सहायक निदेशक अभियोजन (सतर्कता)
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8	निजी सचिव
9	अतिरिक्त निजी सचिव
10	सहायक अभियोजन अधिकारी(मुख्यालय)
11	सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक
12	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार
13	संस्थापन अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
14	जमादार / च.श्रे. कर्मचारी

4. विभागीय प्रमुख कार्य तथा आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 5 वर्ष से तुलना:-

अभियोजन विभाग के सदस्यों द्वारा की जाने वाली पैरवी व्यवस्था :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक के न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कुल 15, विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कुल-4 एवं विशिष्ट न्यायालय एन.डी.पी.एस. एक्ट के कुल-3, विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार के कुल -2 एवं विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी, विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में पैरवी कर रहे हैं। सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के कुल -15 अधिकारी अपर लोक अभियोजक के रूप में एडीजे स्तर के न्यायालयों में पैरवी कर रहे हैं। लोक अभियोजक श्रीगंगानगर के पद पर उप निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी द्वारा पैरवी कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष अक्टूबर 2018 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियों द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 814134 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों में से 251960 (30.9 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 562174 (69.0 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (89.6 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 468710 (57.5 प्रतिशत) थी, जिनमें से 74854 (15.9 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 393856 प्रकरण लम्बित रहें जिसमें दोष सिद्धि 60.0 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह अक्टूबर 2018 तक 3428 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 249 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3179 प्रकरण लम्बित रहें तथा दोष सिद्धि का प्रतिशत 50.7 प्रतिशत रहा है।

वर्ष अक्टूबर 2018 तक महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित कुल 46812 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 10462 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 36350 प्रकरण विचाराधीन हैं। दोष सिद्धि 30.68 प्रतिशत रही।

वर्ष जून 2018 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल 10682 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 918 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 9764 प्रकरण विचाराधीन हैं।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत 5 वर्षों में अन्य अपराध वर्ग अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :-

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018 अक्टूबर
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	510536	510077	517486	555004	568767
2.	दायर	264743	261919	289754	317660	250818
3.	योग	775279	771996	807240	872664	819585
4.	कमिट (-)	9649	9046	7851	6955	5451
A.	कुल विचाराधीन प्रकरण	765630	762950	799389	865709	814134
B.	दोषसिद्धि	191508	179897	187805	223928	190761
C.	दोषमुक्ति	16874	18407	18073	23663	21936
D.	अन्य ढंग से	47171	47160	38507	49351	39263
5.	कुल निर्णित प्रकरण	255553	245464	244385	296942	251960
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	510077	517486	555004	568767	562174
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	91.90	90.72	91.22	90.44	89.69
8.	निर्णय का प्रतिशत	33.38	32.17	30.57	34.30	30.95

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत 5 वर्षों में भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत दर्ज/निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :-

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018 अक्टूबर
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	372206	382874	387972	401167	401657
2.	दायर	107852	97086	95740	100497	72315
3.	योग	480058	479960	483712	501664	473972
4.	कमिट (-)	8932	8411	7486	6659	5262
A.	कुल विचाराधीन प्रकरण	471126	471549	476226	495005	468710
B.	दोषसिद्धि	42823	36299	30611	33845	28189
C.	दोषमुक्ति	14919	16451	15984	20335	18897
D.	अन्य ढंग से	30510	30827	28464	39148	27768
5.	कुल निर्णित प्रकरण	88252	83577	75059	93348	74854
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	382874	387972	401167	401657	393856
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	74.16	68.81	65.70	62.44	59.87
8.	निर्णय का प्रतिशत	18.73	17.72	15.76	18.86	15.97

5. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ :-

1. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन सफलता का प्रतिशत वर्ष जनवरी 2018 से अक्टूबर 2018 में अक्टूबर माह तक भा.द.सं. के अन्तर्गत 60.0 प्रतिशत तथा समस्त अपराध वर्ग में 89.69 रहा है।
2. पदोन्नति – वर्ष 2017-18 की उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन, अतिरिक्त निजी सहायक व मंत्रालयिक संवर्ग के समस्त पदों पर डीपीसी की जा चुकी है। वर्ष 2015-16 की निजी सहायक की डीपीसी की जा चुकी है। इसके पश्चात् शीघ्र लिपिक के पदों पर कोई कार्मिक पदस्थापित नहीं है अतः डीपीसी शेष नहीं है। वर्ष 2018-19 की संस्थापन अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पदों की पदोन्नति की जा चुकी है।
3. भवनों के सम्बन्ध में:- विगत पाँच वर्षों में जोधपुर, टोंक, कोटा, राजसमन्द, झुंझुनू, गंगापुर सिटी, औसिया, पीपाड, सुजानगढ़, नोखा, हनुमानगढ़, टिब्बी, संगरिया, बाली (जिला पाली) व नवलगढ़ (झुंझुनू) में अभियोजन भवनो का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय डूंगरपुर व बांरा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय बाडमेर व एसीबी भरतपुर, अभियोजन अधिकारी कार्यालय लूणकरनसर, आबू पर्वत, विजयनगर, दूदू, सरवाड़, पुष्कर, आमेट, रेलमगरा हेतु राशि रु. 85 लाख की स्वीकृति उपरान्त दिनांक 27.06.18 को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है।
4. नियुक्ति:- वर्ष 2017 में 294 सहायक अभियोजन अधिकारियों की विज्ञप्ति जारी होने पर 282 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये तथा 2011 में जारी विज्ञप्ति के क्रम में न्यायालय के आदेश के क्रम में 6 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये जिसके क्रम में 242+ 6 ने अपनी उपस्थिति दी तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 33 सहायक अभियोजन अधिकारियों की प्रतीक्षा सूची प्राप्त होने पर 30 सहायक अभियोजन अधिकारी को नियुक्ति दी गयी है। जिनमें से 28 ने कार्य ग्रहण किया वर्ष 2018 में माह नवम्बर 2018 तक 04 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ सहायक तथा 16 आरपीएससी एवं वर्ष 2018 में माह नवम्बर 2018 तक 3 मृतक आश्रितों को एवं 01 च.श्रेणी. कर्मचारी को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा सीधी भर्ती में नियमित नियुक्ति दी गई है।

- 5 विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में 345 अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया।
- 6 विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में 9 पद अभियोजन अधिकारी, 13 पद सहायक अभियोजन अधिकारी, 9 पद वरिष्ठ सहायक, 13 पद कनिष्ठ सहायक तथा 22 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नवीन पद सृजित हुये हैं।
- 7 बजट – अभियोजन विभाग से संबंधित बजट मद 2014-00-114-02-01 (State Fund) में वर्ष 2018-19 में 8710.960 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्ध माह अक्टूबर 2018 तक 5773.181 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। अभियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट मद 4059-80-(051)-08-00-(17)(Central Assistanc) में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 194.91 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध माह अक्टूबर 2018 तक राशि रुपये 48.5 लाख का व्यय हो चुका है।
- 8 निरीक्षण – वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह सितम्बर तक विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के 61.28 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यो को हासिल किया।
- 9 अभियोजन सफलता के प्रतिशत का जिलेवार डाटाबेस तैयार किया गया।
- 10 विभाग की प्रथम अभियोजन मैन्यूअल एवं वर्ष 2002 के उपरान्त समस्त आदेश/परिपत्रो को शामिल करते हुए नवीन अभियोजन निर्देशिका का विमोचन माननीय गृहमंत्री महोदय द्वारा किया गया।
- 11 अभियोजन सेवा के समस्त अधिकारियों का एक डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, जिसके आधार पर उच्च अभियोजन सफलता प्रदान करने वाले अभियोजन अधिकारियों को विभागीय स्तर से सम्मानित एवं निम्न अभियोजन सफलता प्रदान करने वाले अभियोजन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।